

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जालोर

पीठासीन अधिकारी

श्री छगनलाल गोयल,
आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या

30/2017

अपीलांत
तेजसिंह पुत्र नाथूसिंह, जाति
रावणा राजपूत, निवासी आहोर,
तहसील आहोर, जिला जालोर

बनाम

रेस्पोंडेन्ट्स

1. बाबूसिंह पुत्र नाथूसिंह,
जाति रावणा राजपूत, निवासी
आहोर
2. जितेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह
3. लालसिंह पुत्र भंवरसिंह
4. पारेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह
5. रेखा पुत्री भंवरसिंह, जातियान्
रावणा राजपूत, निवासीगण हरजी,
तहसील आहोर, जिला जालोर
6. अमरसिंह पुत्र जबरसिंह
7. डिम्पल पुत्री जबरसिंह
8. ममता पुत्री जबरसिंह,
(नाबालिग) जरिये कुदरती वली
जबरसिंह पुत्र सोहनसिंह, जातियान्
रावणा राजपूत, निवासीगण
देबावास, तहसील आहोर, जिला
जालोर
9. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार आहोर

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध आदेश तहसीलदार आहोर, दिनांक 30.6.17 (ना.क.सं.2369)

उपस्थिति :-

1. श्री उतमकुमार गहलोत, अभिभाषक, अपीलांत की ओर से।
2. श्री सुरेन्द्रकुमार दवे, अभिभाषक, रेस्पोंडेन्ट सं. 1, 6, 7 की ओर से।
3. श्री छोटूसिंह, सरकारी अभिभाषक, रेस्पोंडेन्ट सं. 9 की ओर से।
4. रेस्पोंडेन्ट सं. 2 से 5, 8 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 27.1.2020

1. अपीलांट के अनुसार अपील के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि ग्राम आहोर के खसरा नम्बर 771 रकबा 2.40 हेक्टर आराजी बाबूसिंह, तेजसिंह पिसरान् नाथूसिंह व मैथी बेवा नाथूसिंह के नाम से राजस्व रैकार्ड में दर्ज थी, प्रार्थी तेजसिंह ने तहसीलदार के समक्ष एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया कि मैथी द्वारा उसके पक्ष में वसीयतनामा दिनांक 12.1.2001 को रुपये 100/- के स्टाम्प पर निष्पादित किया गया था, उक्त वसीयतनामा मैथी का प्रथम व अन्तिम वसीयत है, मैथीबाई की मृत्यु दिनांक 2.11.2007 को हो चुकी है, उक्त वसीयतनामे के आधार पर मृतका के हिस्से की आराजी प्रार्थी तेजसिंह के नाम दर्ज इन्द्राज की जावे। तहसीलदार आहोर ने अपीलांट तेजसिंह को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये बिना आदेश दिनांक 30.6.2009 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज किया गया, उक्त आदेश के विरुद्ध एक अपील अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर में प्रस्तुत की, जिन्होंने आदेश दिनांक 8.3.2010 द्वारा अपीलांट की अपील खारिज की, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने श्रीमान् अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय जोधपुर में प्रस्तुत की वहां भी अपीलांट की अपील दिनांक 19.9.13 को खारिज करते हुए अधिनस्थ न्यायालय के आदेशों को यथावत् रखने का आदेश पारित किया गया, जिसके विरुद्ध अपीलांट ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष एक निगरानी प्रार्थनापत्र :एलआर/6096/2013/प्रस्तुत की जिसमें माननीय राजस्व मण्डल ने निर्णय दिनांक 3.9.2015 द्वारा निगरानी स्वीकार कर तहसीलदार आहोर का आदेश दिनांक 30.6.2009 व अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर का आदेश दिनांक 8.3.2010 एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के निर्णय दिनांक 19.9.2013 को निरस्त करते हुए इस दिशा निर्देश के तहत तहसीलदार आहोर को प्रकरण रिमाण्ड किया कि उभयपक्ष को वसीयत बाबत् अपना पूर्ण पक्ष रखने का अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर निस्तारण करे, उक्त निर्णय दिनांक 19.9.2015 की पालना में तहसीलदार आहोर के द्वारा प्रकरण दर्ज कर समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को नोटिस साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु तलब किया गया, लेकिन तहसीलदार आहोर द्वारा आदेश दिनांक 29.12.2016 द्वारा वादग्रस्त आराजी मैथीबाई की पुश्तैनी भूमि है, में वसीयत के आधार पर म्युटेशन पारित किया जाना नियम विरुद्ध है, का आदेश पारित किया, जिसके विरुद्ध एक अपील अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर के समक्ष दिनांक 7.2.2017 को प्रस्तुत की लेकिन अपील विचाराधीन होते हुए भी तहसीलदार आहोर द्वारा दिनांक 30.6.2017 को नामान्तरकरण सं.2369 मैथीबाई के विरासतन नामान्तरकरण के जरिये उनकी पुत्री सागरदेवी व शोभादेवी के वारिसानो के नाम से खोले जाने व शोभादेवी के वारिसान् अमरसिंह, डिम्पल व ममता पिसरान् जबरसिंह के द्वारा हकतर्क बाबूसिंह के नाम कर उक्त हकतर्क के आधार पर आदेश दिनांक 30.6.2017 (ना.क.सं.2369) पारित किया, जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की है।

अधिनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया गया है कि वास्तविक रूप से मैथीबाई के कौन कौन वारिसान् हैं, यदि मैथीबाई के वारिसान् के नाम म्युटेशन खोला भी जाये तो सम्पूर्ण वारिसानों के नाम खोला जाना चाहिये थी लेकिन अदालत मातहत ने केवल मैथीदेवी की दो पुत्रियां मृतका—सागरकंवर व शोभाकंवर के वारिसानों एव बाबूसिंह तथा तेजसिंह के नाम ही नामान्तरकरण दर्ज किया गया जबकि मृतका—मैथीबाई के एक और पुत्री रतनकंवर भी जिनके वारिसान् मौजूद है, के वारिसानों के नाम नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया गया। तहसीलदार आहोर के आदेश दिनांक 29.12.2016 के विरुद्ध अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर के समक्ष अपीलांट की अपील विचाराधीन रहते हुए नामान्तरकरण विवादित होने से नहीं खोला जा सकता था। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के पक्ष में उसकी माता मैथीदेवी द्वारा जो वसीयत निष्पादित की गई, के अनुसार मैथीबाई की मृत्यु के पश्चात् उक्त वसीयत के आधार पर मैथीबाई के हिस्से की आराजी का अपीलांट के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज किया जाना था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को दिनांक 29.12.2016 को खारिज कर दिया, जिसके विरुद्ध अपीलांट ने, अपील की थी जो विचाराधीन रहते हुए अदालत मातहत द्वारा जो नामान्तरकरण पारित किया गया है वह विधि विरुद्ध होने से निरस्त है। मैथीबाई ने अपने हिस्से की आराजी की वसीयत अपीलांट के पक्ष में निष्पादित कर दी थी जो अन्तिम वसीयत थी जिसके अनुसार उक्त आराजी का एक हिस्सा पाने का अधिकार अपीलांट को था, जिसको नजरअन्दाज करते हुए विवादित म्युटेशन पारित किया गया है, दिनांक 25.7.17 को उक्त विवादित आराजी सार संभाल करने हेतु अपीलांट वहां जाने पर अनजान भू माफिया आये व उक्त जमीन की ओर इशारा किया तब अपीलांट द्वारा पूछने पर उन्होंने बताया कि उक्त आराजी में बाबूसिंह का 1/3 हिस्सा है जो उन्हें बैचान करना चाहता है, जिस पर तहसीलदार आहोर के कार्यालय में जाने पर ज्ञात हुआ कि मैथीबाई की जगह पर उनकी पुत्रियों के वारिसान् के नाम म्युटेशन सं. 2369 दिनांक 30.6.2017 को भरा जा चुका है तथा शोभादेवी के वारिसानों द्वारा बाबूसिंह के हक में एक हक तर्कनामा भी दिनांक 24.5.17 को निष्पादित हो चुका है जिसकी आड में म्युटेशन सं. 2369 दिनांक 30.6.2017 अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किया जा चुका है जिसकी नकल दिनांक 25.7.17 को प्राप्त होने पर अपील अन्दर म्याद शुमार पेश की है, अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर तहसीलदार आहोर का आदेश दिनांक 30.6.2017 (ना.क. सं. 2369) निरस्त करावे। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ नकले पेश की, इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोंडेन्टगण को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. दिनांक 25.7.18 को रेस्पोजेन्ट सं.8 ममता को बाद सुनवाई के नाबालिग व जिसके कुदरती वली पिता जबरसिंह को रैकार्ड पर लिया गया।
3. अपीलांट के धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थनापत्र के खण्डन में रेस्पोजेन्ट्स ने कोई प्रत्युत्तर पेश नहीं किया गया है अतः अपीलांट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।
4. उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई, अपीलांट के अभिभाषक ने बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध एक अपील अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालौर के समक्ष विचाराधीन होते हुए भी तहसीलदार आहोर द्वारा दिनांक 30.6.2017 को नामान्तरकरण सं. 2369 जो मैथीबाई के विरासतन् नामान्तरकरण जरिये उनकी पुत्री शोभादेवी के नाम से खोले जाने व शोभादेवी के वारिसान् अमरसिंह, डिम्पल, ममता पिसरान जबरसिंह द्वारा हक तर्क बाबूसिंह के नाम करने पर हकतर्क के आधार पर नामान्तरकरण का आदेश पारित किया गया है लेकिन मृतका-मैथीबाई के एक और पुत्री रतनकंवर भी जिनके वारिसान् मौजूद होते हुए भी उनके वारिसान् का नाम नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया गया है, मैथीबाई ने अपने हिस्से की आराजी की अन्तिम वसीयत अपीलांट के पक्ष में निष्पादित की कर दी थी जिसके अनुसार उक्त आराजी का हक, हिस्सा पाने का अधिकार अपीलांट को था। अपीलांट की अपील स्वीकार करावे तथा लिखित बहस भी पेश की, इसके विपरीत रेस्पोजेन्ट सं.1 के वकील ने बहस में बताया कि पुश्तैनी भूमि की वसीयत नहीं हो सकती तथा इसमें प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल में वर्तमान में विचाराधीन है, अतः अपीलांट की अपील खारिज करावे।
5. उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलाधीन आराजी स्वअर्जित सम्पति नहीं होकर पैतृक सम्पति थी, यह सुस्थापित विधि है कि वसीयत स्वअर्जित सम्पति की ही की जा सकती है, पैतृक सम्पति की वसीयत विधि अनुसार नहीं है।
अपीलांट अपनी इस अपील के पैरा सं.5 में अंकित किया गया है कि मृतका मैथीबाई के एक पुत्री रतनकंवर के वारिसान् द्वारा मौजूद होते हुए भी तहसीलदार द्वारा उनके वारिसान् के नाम नामान्तरकरण नहीं किया गया है किन्तु अपनी अपील में न तो अपीलांट द्वारा रतनकंवर के वारिसान् को पक्षकार बनाया गया है और न ही इस बाबत् कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है। यदि कोई उत्तराधिकार से वंचित रह गया तो वह सक्षम न्यायालय में उक्त निर्णय को चुनौति दे सकता है।

(अपील सं. 30 / 2017, तेजसिंह बनाम बाबूसिंह, वगैराह)

-5-

अपील के पैरा सं.4 में अंकित हैं कि मैथीबाई की मृत्यु पर जीवित पुत्रियों को ही हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में हकदार माना जाता है तथा मां की मृत्यु से पूर्व पुत्रियों की मृत्यु होने पर उनके वारिसान् हकदार नहीं है, किन्तु उक्त संबंध में कोई न्यायिक निर्णय प्रस्तुत नहीं किया।

अतःउपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार आहोर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.6.2017 में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

आदेश

अतः अपीलांट द्वारा तहसीलदार आहोर के आदेश दिनांक 30.6.2017 (ना.क.सं.2369) के विरुद्ध प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल सुदा मानी जाकर, नम्बर से कम होकर, बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ़्तर दाखिल हो।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय, आज दिनांक 27.01.2020 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर